न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती नानीबाई पुत्री श्री शंकर उर्फ शंकरसिंह पत्नी श्री गोपालसिंह उर्फ नानसिंह राजपूत निवासी मालेला हाल मुकाम सगरूण तहसील खमनोर जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री शंकर उर्फ शंकरसिंह पिता रोड़ा जी उठड़ राजपूत निवासी सगरूण तहसील खमनोर जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमतती प्यारीबाई पत्नी गुलाबसिंह चदाणा राजपूत निवासी लाल मादड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सगरूण तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
3. सब रजिस्ट्रार कार्यालय खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर जिला राजसमन्द
5. पटवारी, पटवार हल्का सगरूण तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा दि0 17–10–2016
प्रकरण संख्या 51/2012 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री सुरेश खटीक अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 स्वयं
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3, 4 व 5

——————/——————

निर्णय **दिनांक 31–10–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य

प्रतिवादीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–2 में वर्णित विभिन्न आराजीयात में प्रार्थिया के पिता शंकर पिता रोड़ा को यह भूमियां अपने पिता रोड़ा की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है तथा उसकी स्व–अर्जित संपत्तियां नहीं होकर, प्रार्थिया विपक्षी संख्या–1 व 2 की मोरूसी जायदाद है तथा विपक्षी संख्या–2 के पिता के जीवनकाल की भूमियां है। जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 का बराबर का हिस्सा हे। रोड़ा के तीन पुत्र थे, जिसमें पृथ्वीसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से भूमियां उसकी पुत्री लक्ष्मी के नाम दर्ज हुई तथा उसने भूमियां मोतीसिंह को विक्रय कर दी, दूसरे पुत्र छगनसिंह ने भी भूमियां विक्रय कर दी, जो वर्तमान में सुन्दरबाई के नाम दर्ज है। तीसरा पुत्र शंकर विपक्षी संख्या–2 है, जिसके प्रार्थिया व विपक्षी संख्या–1, 2 पुत्रियां होकर उक्त भूमियां मोरूषी होने के कारण तथा विपक्षी संख्या–2 संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता हाने के कारण उसके नाम पर दर्ज है। परन्तु उन भूमियों में उसकी पुत्रियां प्रार्थिया व विपक्षी संख्या–1 व 2 का बराबर हक व अधिकार है तथा शंकर पिता रोड़ा का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थिया उक्त भूमियों के मोरूषी होने के कारण उसका विरासती हक है तथा विपक्षी संख्या–2 को उक्त भूमियों का हस्तान्तरण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव विपक्षीगणों का उक्त भूमियों को हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिलवाया जाय।

प्रकरण में अपीलान्ट विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि शंकरसिंह द्वारा 14–2–2012 को पंजीकृत दानपत्र से अपनी सारी भूमियां नानीबाई को देकर कब्जा सिपुर्द कर दिया है तथा कब्जा नानीबाई का है। प्रार्थना पत्र मनगढ़ंत व असत्य है। शंकरसिंह की उक्त भूमियों का उसने विधिपूर्वक दान किया है। शंकरसिंह द्वारा पूर्व में भूमियां विक्रय की थी, जिसकी सम्पूर्ण राशि प्रार्थिया ने प्राप्त कर राशि लेकर अपने पति के पास चली गई। शंकरसिंह की सेवा उसकी छोटी पुत्री विपक्षी संख्या–1 करती है व उसकी सेवा से खुश होकर शंकरसिंह ने उक्त भूमियां उसे दान की है। प्रार्थिया ने बेज़ा अपने वृद्ध पिता व बहन को जलील करने के लिए यह आवेदन पेश किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 17–10–2016 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमियों की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश पारित किया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–1–2017 को पेश की।

नकल दिये जाने में हुए करीब एक माह 7 दिवस के विलम्ब के कारण उक्त अपील अन्दर मयाद होने से अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 स्वयं 30–5–2017 को उपस्थित हुए परन्तु बाद में अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 5 बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बाहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित आधारों को ही पुनः दोहराया तथा राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत दानपत्र को नजर अन्दाज किया है। भूमियां मोरूषी व संयुक्त हिन्दू परिवार की होना प्रमाणित नहीं होकर शंकरसिंह की स्व–अर्जित भूमियां थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण इस आधार पर माना है कि प्रार्थिया ने कहा है कि भूमियां मोरूषी है, दावा विचाराधीन है। भूमिया H.U.F. की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के भार सिद्ध यह तथ्य कि भूमियां शंकर के पिता रोड़ा के समय की है, इस बाबत् कोन से दस्तावेज है, इस बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनसार यदि भूमियां रोड़ा की हो तो भी पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का हक नहीं हो सकता। यहां पर तो भूमियां रोड़ा की होने बाबत् ही अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसके

विपरित विपक्षी द्वारा विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर भूमियां शंकर द्वारा क्रय किये जाने की साक्ष्य पेश की है। जिन्हें अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया है। विवादित भूमियों का संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमियां अधिनस्थ न्यायालय ने किस प्रकार से मानी है, यह भी व्याख्यायित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने का आधार दावा विचाराधीन होने के आधार को प्रथम दृष्टया प्रकरण का आधार मान लेना भी विधिक नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थिया के भार सिद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण माना जाने के लिए उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है तथा त्रुटिपूर्ण रूप से भूमियों को मोरूषी/ H.U.F. की मानी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रार्थिया रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 17–10–2016 तथ्यात्मक तथा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर